2024/271

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री हेमंग देसाई निवासी 45, हरिदर्शन सोसायटी डी,मार्ट स्टोर के पास अडाजान सूरत।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 58 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.10.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड को दिनांक 23.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि शान्तिवन गेट नं. 5 आबूरोड के सामने स्थित योगीराज सोसायटी के बंगला नम्बर 2 की आखिरी टैक्स बिल एवं अन्तिम चालान भुगतान की प्रति एवं इससे सम्बन्धित सभी दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति, जो इसके रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत किए गए थे और जब इसका नाम आबूरोड नगरपालिका में रजिस्टर्ड किया गया था, इससे सम्बन्धित सभी दस्तोवेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड को दिनांक 23.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि शान्तिवन गेट नं. 5 आबूरोड के सामने स्थित योगीराज सोसायटी के बंगला नम्बर 2 की आखिरी टैक्स बिल एवं अन्तिम चालान भुगतान की प्रति एवं इससे सम्बन्धित सभी दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति, जो इसके रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत किए गए थे और जब इसका नाम आबूरोड नगरपालिका में रजिस्टर्ड किया गया था, इससे सम्बन्धित सभी दस्तोवेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका आबूरोड के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:34:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner